सराहनीय कार्य
दिनांक 13.06.2021
पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा

युवती पर जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त, 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तारः–

कल दिनांक 12.06.2021 को थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत एक युवती के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने व चाकू मारकर जानलेवा हमला करने की घटना प्रकाश में आयी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए घायल युवती के बेहतर व समुचित उपचार एवं आरोपी अभियुक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी कराने हेतु तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मनकापुर के नेतृत्व में टीमे बनाकर कार्यवाही करने का कड़े निर्देश दिये। स्वाट/सर्विलांस टीम को भी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये इन्ही कड़े निर्देशों के फलस्वरूप थाना छपिया पुलिस ने वांछित अभियुक्त विशाल यादव को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

आज दिनांक 13.06.2021 को थाना छपिया व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त विशाल यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव नि0 कुसमी थाना छपिया जनपद गोण्डा उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मै उस लड़की से एक तरफा प्रेम करता था परन्तु वह मुझे पसन्द नही करती थी मैने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया परन्तु वह नही मानी। इसी बात से क्षुब्ध होकर मैने पहले जान से मारने की नियत से लड़की के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया तथा बाद उसके ऊपर चाकू से कई वार कर दिये। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू व लायटर बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. विशाल यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव नि0 कुसमी थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–173/21, धारा 307 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. थानाध्यक्ष छपिया राकेश कुमार सिंह मय टीम।
02. एस0ओ0जी0 प्रभारी सुनील सिंह मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.06.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अनिल सिंह पुत्र सभीजीत सिंह नि0 रामबली पुरवा मौजा पूरे अजब थाना परसपुर गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–130/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.06.2021

जालसाजी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने मु0अ0सं0–477/20, धारा 419,420,467,468,471 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बुद्धि लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी शैलेश सिंह पुत्र शंकर सिंह नि0 चैनापुर थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा की जमीन फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया था। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. बुद्धिलाल पुत्र परागदत्त दुबे नि0 माधवपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–477/20, धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अपराध निरीक्षक विनय कुमार यादव मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.06.2021

छेडछाड करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने मु0अ0सं0–186/21, धारा 354 क, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–श्रीधर उर्फ सोनू को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. श्रीधर उर्फ सोनू पुत्र मिथिलेश्वर नि0 मरवतिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–186/21, धारा 354 क 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 विजय बहादुर मय टीम।